झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

डब्ल्यू पी (सी) संख्या 5825/2019

उमेश प्रसाद महतो .....याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य।

2. अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, रांची।

3. उपायुक्त , धनबाद

3.राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, झारखंड द्वारा अपने सदस्य सचिव, राँची ।

5.सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, झारखंड, राँची।

6.सदस्य सचिव, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची

.....उत्तरदातागण

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता के लिए : श्री लक्ष्मण कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता -एसपीसीबी के लिए : श्रीमती रिचा संचिता अधिवक्ता,
श्रीमती पिंकी साव, अधिवक्ता

उत्तरदाता राज्य के लिए: श्री डी. सी. मिश्रा, वरिष्ठ एस.सी के एसी

03/दिनांक 20 नवंबर 2019 अनुलग्नक-5 के में निहित आदेश दिनांक 09.10.2019 को चुनौती दी जा रही है, जिसके द्वारा झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ईंटों की स्थापना के उद्देश्य से खनन कार्य चलाने के लिए जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र को इस आधार पर कि याचिकाकर्ता को अधिसूचना संख्या 2795 दिनांक 02.08.2019 द्वारा अधिसूचित शर्त को पूरा करने का अवसर दिए जाने के बावजूद वापस ले लिया गया है।

यह याचिकाकर्ता का मामला है कि 02.08.2019 दिनांकित अधिसूचना के अनुसार पात्रता मानदंड पूरा किया जा रहा है, लेकिन चूंकि इस आशय का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए, पूर्वोक्त पात्रता शर्त की पूर्ति के संबंध में प्राधिकारी को अवगत कराना संभव नहीं हो

सकता था और एक अवसर प्रदान किए बिना ऐसा निर्णय लिया गया है जो कथित प्रतिष्ठान के संचालन में पूर्वाग्रह और बाधा पैदा कर रहा है.

यह याचिकाकर्ता का आगे का मामला है कि कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में जवाब प्रस्तुत किया गया है, लेकिन जवाब प्राप्त होने से एक दिन पहले, इस तरह से आक्षेपित निर्णय लिया गया है, याचिकाकर्ता द्वारा पेश बचाव पर कोई विचार नहीं किया गया है.

श्री डी. सी. मिश्रा, वरिष्ठ एससी-III के विद्वान एसी ने प्रस्तुत किया है कि यह ऐसा मामला है जहां याचिकाकर्ता दिनांक २. ०८. २१९ की अधिसूचना के तहत प्रदान की गई पात्रता की शर्त को पूरा नहीं कर रहा है और जब उक्त अधिसूचना अस्तित्व में आई, तो याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकारी द्वारा पहले से ही दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र को जारी रखने के लिए प्राधिकारी को संतुष्ट करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा है और इसलिए, आक्षेपित निर्णय लिया गया है जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है.

इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और तथ्यात्मक पहलू को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता द्वारा आंदोलित आधार को ध्यान में रखते हुए , जो उसके द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार न करने से संबंधित है क्योंकि याचिकाकर्ता का निवेदन यह है कि कारण बताओ प्रस्तुत किया गया है और इसकी प्राप्ति से एक दिन पहले आक्षेपित निर्णय लिया गया है।

यह न्यायालय, इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि याचिकाकर्ता के चल रहे व्यवसाय की अनापत्ति प्रमाणपत्र को वापस ले लिया गया है, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, झारखंड, प्रत्यर्थी नं. ४ को यह सत्यापित करने का निर्देश देना उचित समझा जायेगा कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत किया गया है और यदि ऐसा है, तो प्राधिकरण इस पर विचार करेगा और आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर नए सिरे से निर्णय लेगा.

तदनुसार रिट याचिका का निपटान किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)

सौरभ